कार्यालय, अध्यक्ष काउंसलिंग समिति,तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश

चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

लेटरल एण्ट्री के माध्यम से बी.ई./बी.फार्मेसी पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में प्रवेश हेतु

(मध्यप्रदेश में स्थित शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त/स्ववित्तीय/निजी इंजीनियरिंग संस्थान)

सत्र 2019–20

महत्वपूर्ण निर्देश

पंजीयन (Registration):–

1. काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों को कांउसलिंग में **केवल एक बार पंजीयन** कराना आवश्यक होगा, जो कि **निःशुल्क** रहेगा।

सत्यापन(Verification):–

1. पंजीयन की पर्ची प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता चयन के पूर्व अथवा आवंटन उपरांत अपने मूल दस्तावेजों का अधिकृत निकटस्थ सहायता केन्द्र पर सत्यापन करवाना होगा।
2. ऐसे अभ्यर्थी जो किसी भी प्रकार की आरक्षित श्रेणी **(SC/ST/OBC)** का लाभ लेना चाहते है उन्हें प्राथमिकता चयन के पूर्व दस्तावेजों का सत्यापन अधिकृत सहायता केन्द्रों पर कराना अनिवार्य है।
3. प्राथमिकता चयन के पूर्व यदि अभ्यर्थी के समस्त दस्तावेजों का सत्यापन सहायता केन्द्रों पर नही हो सका है तब ऐसे अभ्यर्थी को आवंटन उपरांत अपने दस्तावेजों का सत्यापन अधिकृत सहायता केन्द्रों से कराना आवश्यक होगा। दस्तावेजों के सत्यापन के अभाव में अभ्यर्थी आवंटित संस्था में प्रवेश प्राप्त नही कर सकेगा।
4. जिन अभ्यर्थियों ने प्राथमिकता चयन के पूर्व दस्तावेजों का सत्यापन नही कराया है ऐसे अभ्यर्थियों का उनके द्वारा पंजीयन के समय उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर आवंटन किया जावेगा। आवंटन उपरांत दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो अभ्यर्थी का आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।
5. ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्हें **शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त/स्ववित्तीय संस्थाऐं** आवंटित हुई हैं, वे सीधे आवंटित संस्था में उपस्थित होकर अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराकर प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करेंगे।

प्राथमिकताक्रम का चयन(Choice Filling):–

1. अभ्यर्थी **न्यूनतम 05** तथा अधिक से अधिक सभी उपलब्ध संस्थाओं/पाठ्यक्रम का प्राथमिकतानुसार ऑनलाईन चयन कर सकेंगे। अभ्यर्थी को अधिक से अधिक प्राथमिकता (Choice) भरने की सलाह दी जाती है।
2. काउंसलिंग में सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों को प्रत्येक चरण में संस्थाओं की ऑनलाईन **प्राथमिकताक्रम का चयन (च्वाईस फिलिंग)** उपरांत लॉक की कार्यवाही पूर्ण करना आवश्यक होगा। ऑनलाईन **प्राथमिकताक्रम का चयन (च्वाईस फिलिंग)** को लॉक करने हेतु समस्त श्रेणी/वर्ग के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग व आंशिक शिक्षण शुल्क रुपये 1530/– (कांउसलिंग शुल्क रुपये 400/–, आंशिक शिक्षण शुल्क रुपये 1000/– एवं पोर्टल शुल्क रुपये130/– सहित) देय होगा, उक्त समस्त शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा (नॉन–रिफण्डेबल)।

आवंटन(Allotment):–

1. अर्हकारी परीक्षा के अंकों की तैयार मेरिट के आधार पर प्राथमिकताक्रमानुसार सीट का आवंटन जारी किया जायेगा।

प्रवेश (Admission) :–

1. ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्हें शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त/स्ववित्तीय संस्थाऐं आवंटित हुई हैं, वे सीधे आवंटित संस्था में उपस्थित होकर अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराकर प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करेंगे।
2. ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने प्राथमिकता चयन के पूर्व अधिकृत सहायता केन्द्रों पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेजों का सत्यापन करावा लिया है, उन्हें आवंटित संस्था में उपस्थित होकर प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करना होगी।
3. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें **निजी क्षेत्र की संस्था आवंटित** हुई है एवं प्राथमिकता चयन के पूर्व जिन्होंने दस्तावेजों का सत्यापन नहीं कराया गया है, उन्हें अधिकृत सहायता केन्द्रों पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराकर आवंटित संस्था में उपस्थित होकर प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करना होगी।

सामान्य निर्देश

1. पंजीयन के पूर्व अभ्यर्थी स्वयं का विशेष मोबाईल नंबर तथा ई–मेल आईडी तैयार रखें।
2. प्रत्येक कार्यवाही उपरांत ऑनलाइन प्रिन्ट अवश्य प्राप्त करें। काउंसलिंग संबंधी समस्त ईमेल/एसएमएस सुरक्षित रखें।
3. सत्यापन उपरांत सत्यापन अधिकारी की हस्ताक्षरित पावती अवश्य प्राप्त करें।
4. शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग/एटीएम कार्ड/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। उक्त सुविधा न होने पर किसी भी अधिकृत सहायता केन्द्र (काउंसिलिंग प्राधिकारी द्वारा अधिकृत) अथवा एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर नगद भुगतान द्वारा किया जा सकता है।
5. प्राथमिकताक्रम का चयन (Choice Filling) उपरांत लॉक करने के लिये नगद भुगतान के विकल्प के उपयोग करने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपनी सुविधानुसार च्वाईस फिलिंग की कार्यवाही इंटरनेट द्वारा कम्प्यूटर/एमपी मोबाइल **(MP Mobile) एन्ड्रायड एप** पर कहीं से भी संपादित कर सेव **(Save)** कर लें, तत्पश्चात् ही किसी अधिकृत सहायता केन्द्र/एमपीऑनलाइन के कियोस्क पर जाकर नगद भुगतान कर ऑनलाइन रसीद प्राप्त करें।
6. अधिकृत सहायता केन्द्रों **(Help Centres)** (सूची वेबसाइट **dte.mponline.gov.in**पर उपलब्ध रहेगी)।
7. सहायता केन्द्रों या आवंटित संस्था में अपने मूल दस्तावेज कदापि जमा न करें तथा सत्यापन उपरांत वापिस ले लें। किसी भी अनजान व्यक्ति, एजेंट/दलालों को अपने दस्तावेज/फोटोकापी न दें।
8. प्रवेश नियम व काउंसलिंग प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी **www.dte.mponline.gov.in** पर उपलब्ध है जिसका अभ्यर्थी सूक्ष्मता से अध्ययन कर काउंसलिंग में सम्मिलित होंवे।

अभ्यर्थियों एवं अभिभावकों हेतु महत्वपूर्ण सुझाव एवं सावधानियॉ

1. मूल दस्तावेज किसी भी परिस्थिति में जमा नहीं करें। आवंटित संस्था में प्रवेश के समय आवश्यक दस्तावेजों की केवल फोटो–प्रति ही जमा करनी हैं। संस्था में प्रवेश के समय स्थानांतरण प्रमाण–पत्र (टी.सी.) की मूल प्रति आवश्यक रूप से जमा की जाना है तथा आवश्यक होने पर माईग्रेशन की मूल प्रति भी जमा करनी होगी।
2. काउंसलिंग में पंजीयन **(Registration)** के लिये ईमेल आईडी एवं मोबाइल नम्बर पूर्व से निर्धारित कर लेवें। काउंसलिंग पंजीयन, प्राथमिकता चयन, आवंटन, सत्यापन एवं संस्था में रिर्पोटिंग इत्यादि संबंधी आवश्यक निर्देश उक्त ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर पर ही भेजे जावेगें।
3. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त संस्थानों की सूची वेबसाइट **www.dte.mponline.gov.in** पर उपलब्ध रहेगी। अभ्यर्थी तदानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही संपादित करें।
4. ***"किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी द्वारा संस्था में मूल दस्तावेज जमा नहीं किये जाने है यदि अभ्यर्थी द्वारा मूल–दस्तावेज जमा किये जाते है तो सम्पूर्ण जवाबदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी।"***
5. शुल्क के विवरण हेतु प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, मध्यप्रदेश भोपाल की वेबसाइट **www.afrcmp.org** देखें।

संपर्क :– 0755-6720205, 2660441

सही
अध्यक्ष–काउंसलिंग समिति एवं
संचालक तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश